



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 30 राँची, गुरुवार,

3 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 जनवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-55/2020-855 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनिल कुमार, झांघ्रंसें (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध काँके अंचल के मौजा-नगड़ी, थाना सं०-53 के खाता सं०-136, प्लॉट सं०-2308 एवं 2381, रकबा क्रमशः 0.39 एवं 20.20 एकड़ भूमि, जो नदी के रूप में दर्ज है, को भू-माफिया द्वारा मिट्टी भरवा कर समतलीकरण को नजरअंदाज करना एवं किये जा रहे अतिक्रमण में संलिप्तता, उक्त भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को नजरअंदाज करने, दिनांक 10.11.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजी गई प्रतिबंधित भूमि की सूची में उक्त अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डालने एवं कार्य/दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, राँची के

पत्रांक-263(ii)/स्था०, दिनांक 22.02.2021 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR 110002910660	श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अनिल कुमार, झांप्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भांप्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कारवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
